प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
कौशाम्बी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 946/XV कौशाम्बी / दिनांक : 28.11.2020

विषय : सैनेटाइजेशन कार्य हेतु न्यायालय बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला सर्विलांस अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा पत्रांक-जि.स.ए./कोविड-19/सूचना/2020/2346 दिनांकित-27.11.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्री सुनील कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री बाबू लाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर की स्वास्थ्य टीम द्वारा एन्टीजन जांच में कोविड-19 संक्रमित पाये गये जो कि ग्राम-एकौरा ब्लॉक-कनैली कौशाम्बी के निवासी हैं एवं मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अर्दली हैं। आई.सी.एम.आर. प्रोटोकॉल के अनुसार न्यायालय परिसर 24 घण्टे बन्द किया जाना है तथा दो बार सेनेटाइजेशन के उपरान्त कार्य हेतु शुरू किया जाना है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष एवं कार्यालयों व बार एसोएिशन से सम्बन्धित भवनों का सैनिटाइजेशन कराया जाना आवश्यक हो जाने के कारण दिनांक–28.11.2020 को जनपद न्यायालय कौशाम्बी को बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांकित–28.11.2020 की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

ससम्मान,

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

जिला न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
28.11.2020

जिला न्यायाधीश
कौशाम्बी

पत्रांक : कौशाम्बी / दिनांक :

प्रतिलिपि :

निजी सचिव, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय कौशाम्बी परिक्षेत्र, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रेषित।

जिला न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
28.11.2020

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
कौशाम्बी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : कौशाम्बी / दिनांक :

विषय : सैनेटाइजेशन कार्य हेतु न्यायालय बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला सर्विलांस अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा पत्रांक-जि.स.ए./कोविड-19/सूचना/2020/2346 दिनांकित-27.11.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्री सुनील कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री बाबू लाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर की स्वास्थ्य टीम द्वारा एन्टीजन जांच में कोविड-19 संक्रमित पाये गये जो कि ग्राम-एकौरा ब्लॉक-कनैली कौशाम्बी के निवासी हैं एवं मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अर्दली हैं। आई.सी.एम.आर. प्रोटोकॉल के अनुसार न्यायालय परिसर 24 घण्टे बन्द किया जाना है तथा दो बार सेनेटाइजेशन के उपरान्त कार्य हेतु शुरू किया जाना है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष एवं कार्यालयों व बार एसोएिशन से सम्बन्धित भवनों का सैनिटाइजेशन कराया जाना आवश्यक हो जाने के कारण दिनांक–28.11.2020 को जनपद न्यायालय कौशाम्बी को बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांकित–28.11.2020 की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

ससम्मान,

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

जिला न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
28.11.2020

पत्रांक : 946(i)/XV कौशाम्बी / दिनांक : 28.11.2020

प्रतिलिपि :

निजी सचिव, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय कौशाम्बी परिक्षेत्र, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रेषित।

जिला न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
28.11.2020

जिला न्यायाधीश
कौशाम्बी